



## सत्र 2024–25 की परीक्षाओं

### हेतु पर्यवेक्षक / केन्द्राध्यक्ष / परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक दिशा—निर्देश

1. केन्द्राध्यक्ष तथा पर्यवेक्षक / विशेष निरीक्षण दल की उपरिथिति में प्रश्न-पत्र निर्धारित समय पर परीक्षा प्रारम्भ होने से 20 मिनट पूर्व खोलें जायें।
2. परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा जारी समय-सारणी के अनुसार सम्पादित करवायी जायेगी। इस हेतु प्रश्न-पत्रों के लिफाफों को भली भौति जॉच लें तथा परीक्षा समय-सारणी के अनुसार ही लिफाफों को खोला जायें। त्रुटिवश/भूलवश यदि अन्य लिफाफा खोला जाता है, तथा वह परीक्षा समय सारिणी के अनुसार मेल नहीं करता है/किसी प्रकार के विरोधाभास हेतु विश्वविद्यालय से अविलम्ब सम्पर्क स्थापित करें।
3. नकल विहीन परीक्षाओं का सम्पादन किये जाने हेतु परीक्षा कक्ष में पैहुचने से पूर्व परीक्षार्थियों की भली-भौति तलाशी अनिवार्य रूप से ले लेवें। किसी भी प्रकार की वस्तु, पुस्तक, बैग, पर्स, मोबाईल, इलैक्ट्रोनिक डिवाईस, कैल्कुलेटर आदि परीक्षा-कक्ष में पूर्णतया प्रतिबन्धित हैं। सामान्य कैल्कुलेटर एवं साईंस हेतु एम०एस० 100 या उससे कम क्षमता वाले कैल्कुलेटर ही मान्य होंगे।
4. परीक्षा हेतु महाविद्यालय/संस्थानों को रोल-लिस्ट के अनुसार केवल उन्हीं परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति है, जिनके नाम तथा रोल नम्बर रोल-लिस्ट में अंकित हैं।
5. जिन परीक्षार्थियों के प्रवेश-पत्र, उपरिथिति-पत्र, एवं रोल-लिस्ट विश्वविद्यालय द्वारा जारी नहीं है, उन्हे किसी भी दशा में परीक्षा में सम्मिलित न होने दिया जायें, अन्यथा सम्पूर्ण जिम्मेदारी परीक्षा-केन्द्र की होगी। रोल-लिस्ट में नाम/अनुक्रमांक अंकित होने पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा सम्पूर्ण जॉच करने पर प्रवेश-पत्र निर्गत किया जायेगा। इस हेतु परीक्षार्थियों को अपनी पहचान का साक्ष्य एवं आई०डी० की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
6. परीक्षा-केन्द्र में किसी भी प्रकार की नकल/मुन्ना भाई की तर्ज पर किसी अन्य परीक्षार्थी को परीक्षा देतु हुए पकड़ा जाता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्र को न केवल परीक्षा हेतु अपितु सभी प्रकार की परीक्षाओं हेतु प्रतिबन्धित किया जायेगा।
7. विश्वविद्यालय के अधिकारी, उड़नदस्ता, निरीक्षण मण्डल के सदस्य, पर्यवेक्षक के साथ अभद्र व्यवहार पर संबंधित संस्थान/व्यक्ति/छात्र-छात्रों पर कर्मचारी आचरण नियमावली एवं नकल विहीन परीक्षा सम्पन्न कराने की नियमावली के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जायेगी। जिसके लिये संबंधित व्यक्ति जिम्मेदार होगा। विश्वविद्यालय परीक्षा केन्द्र निर्माण/निरस्त करने के लिये स्वतन्त्र होगा।
8. प्रत्येक परीक्षा कक्ष में शुद्ध पेयजल तथा परीक्षा केन्द्र में स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी आवश्यक है।
9. महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा अपने स्तर पर गठित निरीक्षण दल अनिवार्य रूप से परीक्षा प्रारम्भ होने से आधे घण्टे पूर्व परीक्षा केन्द्र में पैहुचकर प्रश्न-पत्रों के शीलबन्द लिफाफों की पूर्णतया जॉच कर लें एवं शान्तिपूर्वक तथा नकलविहीन परीक्षा एवं परीक्षा कार्यक्रमानुसार सम्पन्न करवाना सुनिश्चित करेंगे।
10. परीक्षा केन्द्राध्यक्षों से अपेक्षा की जाती है, कि परीक्षा के सुचारू एवं सफल संचालन हेतु अपने केन्द्र पर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ-साथ आवश्यक पुलिस व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे। जिससे परीक्षाओं को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पादित करवाया जा सके।
11. कक्ष निरीक्षक परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षार्थियों को अनुक्रमांक आदि अंकित करने की विधि प्रदर्शित करें। जिससे कि परीक्षार्थियों द्वारा अनुक्रमांक भरने में कोई त्रुटि न हो।
12. कक्ष निरीक्षक यह सुनिश्चित कर लें कि परीक्षार्थियों ने अपना अनुक्रमांक, केन्द्र कोड, प्रश्न-पत्र कोड, विषय भली भौति लिखा है, जॉचोपरान्त ही अपने हस्ताक्षर नियत स्थान पर करें। परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध किये गये परीक्षा कार्यक्रमानुसार ही सम्पन्न होगी।
13. परीक्षा भवन की दरवाजे, परीक्षा प्रारम्भ होने के आधे घण्टे पहले खोले जायें।
14. परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था इस प्रकार से हो कि हर सीट में पर्याप्त स्थान छोड़ा जायें जिससे नकल करने की सम्भावना न रहे।

15. सामाजिक दूरी बनाये रखें।
16. आवश्यक होने पर केन्द्राध्यक्ष प्रवेश-पत्र की द्वितीय प्रति परीक्षार्थियों की सम्पूर्ण पहचान करने के पश्चात ही निर्गत करें।
17. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात् परीक्षा कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी जायेगी विशेष परिस्थितियों में यदि वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष विलम्ब से आने के कारण से सन्तुष्ट हों तो अधिक से अधिक 15 मिनट की छूट दे सकते हैं।
18. परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात (1:30) एक घण्टा तीस मिनट से पूर्व किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अन्यथा की स्थिति में परीक्षार्थी से उसका प्रश्न-पत्र परीक्षा कक्ष में जमा कर दिया जायेगा।
19. परीक्षा की समाप्ति के 15 मिनट पूर्व कक्ष निरीक्षक परीक्षा कक्ष में घोषणा करें कि सभी परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका को जमा करने से पूर्व उसमें दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। इसके लिए अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जायेगा।
20. केन्द्राध्यक्ष विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त विशेष निरीक्षण दल एवं उडनदस्ता दल के सदस्यों को नकलविहीन एवं पारदर्शी परीक्षा सम्पन्न करवाने हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। असहयोग की स्थिति व अन्य किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर भविष्य में सम्बन्धित संस्थान को परीक्षा केन्द्र बनाने से वंचित किया जा सकता है।
21. नकलविहीन एवं पारदर्शी परीक्षा सम्पन्न करवाने हेतु प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के मुख्य परीक्षा कक्ष स्ट्रांग रूम (जहाँ से परीक्षा संचालित की जा रही हो/प्रश्न-पत्रों का रखरखाव हो) में अनिवार्य रूप से कार्यरत अवस्था में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगा होना चाहिए, एवं प्रत्येक परीक्षा कक्ष में सी0सी0टी0वी0 कैमरे की उपलब्धता होनी चाहिए।
22. परीक्षा सम्बन्धी किसी भी सहायता/जानकारी के लिये विश्वविद्यालय की अधिकारिक बेवसाईट पर उपलब्ध विश्वविद्यालय अधिकारियों परीक्षा नियन्त्रक/सहायक परीक्षा नियन्त्रक (मुख्य) के दूरभाष संख्याओं पर सम्पर्क करें।
23. बैंक पेपर एवं भूतपूर्व छात्रों की उत्तर-पुस्तिकाओं के बण्डलों को मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डलों से पृथक बण्डल बनाना/पैकिंग करना सुनिश्चित करें।
24. एन0ई0पी0 के तहत या नॉन एन0ई0पी0 सैमस्टर एवं वार्षिक परीक्षाओं की उत्तर-पुस्तिकाओं को भली-भौंति बॉधकर प्रत्येक बण्डल पर निम्न प्रविष्टियों सावधानीपूर्वक एवं आवश्यक रूप से अंकित करने का कष्ट करें।
25. एन0ई0पी0 के तहत होने वाली समस्त परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र 03 घण्टे के होंगे, तथा समस्त प्रश्न-पत्रों की थ्योरी 75 अंकों की होगी।
26. पी0जी0 के समस्त प्रश्न-पत्र 2:30 घण्टे के होंगे, तथा समस्त प्रश्न-पत्रों के थ्योरी 80 अंकों की होगी।

1. केन्द्र संख्या .....
2. प्रश्न-पत्र कोड .....
3. उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या .....
4. परीक्षा तिथि .....
5. परीक्षा का समय .....
6. प्रश्न-पत्र का नाम .....
7. परीक्षा दिवस .....
8. सैमस्टर (द्वितीय/चतुर्थ/षष्ठम्) .....
9. पाली .....

उपरोक्त प्रविष्टियों एवं अनुपस्थिति के अलावा किसी भी प्रकार की प्रविष्टियों एवं कॉलेज के नाम वाली स्टैम्प का प्रयोग न करें, केवल कॉलेज कोड ही प्रदर्शित किया जाय, ताकि बण्डलों पर अंकित प्रविष्टियों स्पष्ट हों, तथा अंकित प्रविष्टियों का भली-भौंति आंकलन किया जा सके, गलत प्रविष्टियों भरे जाने कि स्थिति में महाविद्यालय/संस्थान स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सहयोग हेतु धन्यवाद।



परीक्षा नियन्त्रक  
22/01/2025